



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255818
CG-DL-E-27072024-255818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2860]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2860]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 3001(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.340सी को चार लेन का चौड़ा करने, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में किमी.6+500 से किमी.7+100 (कुरनूल-गुंटूर खंड) तक की अतिरिक्त भूमि में आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उपधारा (i) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त कलेक्टर, कुरनूल को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है;

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति इनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में कर सकते हैं।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण, "आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में कुरनूल (एनएच-40 का मौजूदा किमी. 5.400/डिजाइन किमी. 0.000) से मंडलेम (मौजूदा किमी.38.00/डिजाइन किमी. 30.600) तक एनएच-340सी का पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-1) पक्की सड़क के साथ चार लेन (डिजाइन लंबाई = 30.600 किमी.)।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: कुरनूल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुरनूल					
गांव का नाम: गार्गेयपुरम					
1	673	सरकारी (जी.डी. डॉटेड लैंड)	डीआरवाइ	0.4022 (हेक्टेयर)	0.4022
2	683	सरकारी (जी.डी. डॉटेड लैंड)	डीआरवाइ	0.5584 (हेक्टेयर)	0.5584
3	747	सरकारी (जी.डी. डॉटेड लैंड)	डीआरवाइ	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
4	748	सरकारी (जी.डी. डॉटेड लैंड)	डीआरवाइ	0.0971 (हेक्टेयर)	0.0971
5	749	सरकारी (जी.डी. डॉटेड लैंड)	डीआरवाइ	0.1821 (हेक्टेयर)	0.1821
कुल योग					1.2499

[फा. सं. S.O.3155E/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 3001(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for widening to four laning, maintenance, management and operation of National Highway No.340C, in the additional land from Km.6+500 to Km.7+100 (Kurnool-Guntur Section) in the District of Kurnool in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section(i) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Joint Collector, Kurnool, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land acquisition in respect of National Highway, "Rehabilitation and Upgradation of NH-340C from Kurnool (Existing Km. 5.400 of NH-40/Design Km. 0.000) to Mandlem (Existing Km. 38.00/Design Km. 30.600) (Package-1) Four lane with paved shoulder (Design Length = 30.600 Kms) in the District of Kurnool in the state of Andhra Pradesh".

State: ANDHRA PRADESH			District: KURNOOL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kurnool					
Village: Gargeyapuram					
1	673	Government (G.D. DOTTED LAND)	DRY	0.4022 (Hectare)	0.4022
2	683	Government (G.D. DOTTED LAND)	DRY	0.5584 (Hectare)	0.5584
3	747	Government (G.D. DOTTED LAND)	DRY	0.0101 (Hectare)	0.0101
4	748	Government (G.D. DOTTED LAND)	DRY	0.0971 (Hectare)	0.0971
5	749	Government (G.D. DOTTED LAND)	DRY	0.1821 (Hectare)	0.1821
Total					1.2499

[F. No. S.O.3155E/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.